



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122020-223526
CG-DL-E-05122020-223526

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 534]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 4, 2020/अग्रहायण 13, 1942

No. 534]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4, 2020/AGRAHAYANA 13, 1942

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2020

संदर्भ: एच क्यू-पब 014/1/2020-पब-बी आई एस (107).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गये मानक (को) में संशोधन किया गया/किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष एवं शीर्षक	संशोधन की संख्या और तिथि	कॉलम (3) के संशोधन की प्रतिस्थापन तिथि	वह तिथि, जब तक मानक कॉलम (3) में दर्शाई गए संशोधन के बिना लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आई एस 1664 : 2002 खनिज मिश्रण, पशु आहार का पूरक — विशिष्ट (चौथा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 2 नवम्बर 2020	11 नवम्बर 2020	10 फरवरी 2021

2.	आई एस 5470 : 2002 डाईकैलशियम फोस्फेट, पशु खाद्य वर्ग – विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 2 नवम्बर 2020	11 नवम्बर 2020	10 फरवरी 2021
3.	आई एस 5672 : 1992 कुक्कुट आहार के संपूरक खनिज मिश्रण – विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 2 नवम्बर 2020	11 नवम्बर 2020	10 फरवरी 2021
4.	आई एस 15827 : 2019 ग्रीनहाउस/पालीहाउस हेतु क्लैडिंग फिल्म – विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 2 नवम्बर 2020	11 नवम्बर 2020	10 मई 2021

इस भारतीय संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई, तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, पटना, कानपुर, नागपुर पूणे तथा कोचि में विक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय संशोधनों को <http://www.standardsbis.in> द्वारा इंटरनेट पर खरीदा जा सकता है।

जे. राय चौधरी वैज्ञा-जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण – पी एवं एम)

[विज्ञापन.-III/4/असा./393/2020]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2020

Our Ref: HQ-PUB 014/1/2020-Pub-BIS (107).—In pursuance of sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendments to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued:

SCHEDULE

Sl. No.	No. , Year and Title of the Indian Standards	No. and Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment at column (3)	Date till which the Standard without Amendment as mentioned at Column (3) shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS 1664 : 2002 Mineral Mixtures for Supplementing	Amendment No.2 Nov 2020	11 Nov 2020	10 Feb 2021

	Cattle Feeds — Specification (First Revision)			
2.	IS 5470 : 2002 Dicalcium Phosphate, Animal Feed Grade — Specification (First Revision)	Amendment No.4 Nov 2020	11 Nov 2020	10 Feb 2021
3.	IS 5672 : 1992 Mineral Mixtures for Supplementing Poultry Feeds — Specification (First Revision)	Amendment No.3 Nov 2020	11 Nov 2020	10 Feb 2021
4.	IS 15827 : 2019 Cladding Films for Greenhouse/Polyhouse — Specifications (First Revision)	Amendment No.1 Nov 2020	11 Nov 2020	10 May 2021

Copy of these Amendments are available for sale with the Bureau of Indian Standards ,Manak Bhavan,9 Bahadur Shah Zafar Marg ,New Delhi-110002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata,Chandigarh,Chennai,Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Nagpur, Kanpur, Patna, Pune, Kochi. Online purchase of Indian Amendments can be made at <http://www.standardbis.in>.

J. ROY CHOWDHURY, Sc-G & DDG(Stdn.—P & M)

[ADVT.-III/4/Ext./393/2020]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2020

संदर्भ: एच क्यू-पब 014/1/2020-पब-बी आई एस (108).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गये मानक (को) में संशोधन किया गया/किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष एवं शीर्षक	संशोधन की संख्या और तिथि	कॉलम (3) के संशोधन की प्रतिस्थापन तिथि	वह तिथि, जब तक मानक कॉलम (3) में दर्शाई गए संशोधन के बिना लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आई एस 9471 (भाग 4) : 1980 माड्यूलर लोअर लिंब आर्थोटिक घटकों के लिए विशिष्टता भाग 4 संयुक्त इकाई, टकने	संशोधन संख्या 3 नवम्बर 2020	11 नवम्बर 2020	10 मार्च 2021

2.	आई एस 9471 (भाग 5) : 1980 माडयूलर लोअर लिंब आर्थोटिक घटकों के लिए विशिष्टता भाग 5 संयुक्त इकाई, घुटना	संशोधन संख्या 3 नवम्बर 2020	11 नवम्बर 2020	10 मार्च 2021
3.	आई एस 9471 (भाग 6) : 2000 माडयूली अधः अंग हड्डी घटक भाग 6 हड्डी श्रोणि जोड़ – विशिष्टि	संशोधन संख्या 1 नवम्बर 2020	11 नवम्बर 2020	10 मार्च 2021

इस भारतीय संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई, तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, पटना, कानपुर, नागपुर पूणे तथा कोचि में विक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय संशोधनों को <http://www.standardsbis.in> द्वारा इंटरनेट पर खरीदा जा सकता है।

जे. राय चौधरी वैज्ञा-जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण – पी एवं एम)

[विज्ञापन.-III/4/असा./393/2020]

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2020

Ref: HQ-PUB 014/1/2020-Pub-BIS(108).—In pursuance of sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendments to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued:

SCHEDULE

Sl. No.	No. , Year and Title of the Indian Standards	No. and Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment at column (3)	Date till which the Standard without Amendment as mentioned at Column (3) shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS 9471 (Part 4) : 1980 Specification for Modular Lower Limb Orthotic Components Part 4 Joint Unit, Ankle	Amendment No.3 Nov 2020	11 Nov 2020	10 Mar 2021
2.	IS 9471 (Part 5) : 1980 Specification for Modular Lower Limb Orthotic Components	Amendment No.3 Nov 2020	11 Nov 2020	10 Mar 2021

	Part 5 Joint Unit, Knee			
3.	IS 9471 (Part 6) : 2000 Specification for Modular Lower Limb Orthotic Components Part 6 Orthotic Hip Joint (Joint Unit, Hip Drop Lock) — Specification	Amendment No.1 Nov 2020	11 Nov 2020	10 Mar 2021

Copy of these Amendments are available for sale with the Bureau of Indian Standards ,Manak Bhavan,9 Bahadur Shah Zafar Marg ,New Delhi-110002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata,Chandigarh,Chennai,Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Nagpur, Kanpur, Patna, Pune, Kochi. Online purchase of Indian Amendments can be made at <http://www.standardbis.in>.

J.ROY CHOWDHURY, Sc-G & DDG(Std. — P & M)

[ADVT.-III/4/Ext./393/2020]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2020

संदर्भ: एच क्यू-पब 014/1/2020-पब-बी आई एस (109).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गये मानक (को) में संशोधन किया गया/किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष एवं शीर्षक	संशोधन की संख्या और तिथि	कॉलम (3) के संशोधन की प्रतिस्थापन तिथि	वह तिथि, जब तक मानक कॉलम (3) में दर्शाई गए संशोधन के बिना लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आई एस 7538 : 1996 कृषि अनुप्रयोग के अपकेन्द्री पम्पों के लिए तीन फेज़ीय स्क्रिल केज प्रेरण मोटरें — विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 3 नवम्बर 2020	11 नवम्बर 2020	10 मई 2021

इस भारतीय संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई, तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, नागपुर,कानपुर, पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय संशोधनों को <http://www.standardsbis.in> द्वारा इंटरनेट पर खरीदा जा सकता है।

जे. राय चौधरी वैज्ञा-जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण – पी एवं एम)

[विज्ञापन.-III/4/असा./393/2020]

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2020

Ref: HQ-PUB 014/1/2020-Pub-BIS (109).—In pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendments to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued:

SCHEDULE

Sl. No.	No. , Year and Title of the Indian Standards	No. and Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment at column (3)	Date till which the Standard without Amendment as mentioned at Column (3) shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS 7538 : 1996 Three-Phase Squirrel Cage Induction Motors for Centrifugal Pumps for Agricultural Application — Specification (First Revision)	Amendment No. 3 Nov 2020	11 Nov 2020	10 May 2021

Copy of these Amendments are available for sale with the Bureau of Indian Standards ,Manak Bhavan,9 Bahadur Shah Zafar Marg ,New Delhi-110002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Nagpur, Kanpur, Patna,Pune,Kochi.Online purchase of Indian Amendments can be made at <http://www.standardbis.in>.

J. ROY CHOWDHURY, Sc-G & DDG(Std. — P & M)

[ADVT.-III/4/Exty./393/2020]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर 2020

संदर्भ: एच क्यू-PUB 014/1/2020-पब-बी आई एस (110).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गये मानक (को) में संशोधन किया गया/किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष एवं शीर्षक	संशोधन की संख्या और तिथि	कॉलम (3) के संशोधन की प्रतिस्थापन तिथि	वह तिथि, जब तक मानक कॉलम (3) में दर्शाई गए संशोधन के बिना लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आई एस 335 : 2018 नए विद्युत रोधन तेल — विशिष्टि (पाँचवां पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 1 नवम्बर 2020	11 नवम्बर 2020	10 मई 2021
2.	आई एस 16102 (भाग 1) : 2012 सामान्य प्रकाश सेवाओं के लिए स्वतः जलने वाले एल ई डी लैम्प भाग 1 सुरक्षा अपेक्षाएँ	संशोधन संख्या 3 नवम्बर 2020	11 नवम्बर 2020	10 मई 2021

इस भारतीय संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई, तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, पटना, कानपुर, नागपुर पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय संशोधनों को <http://www.standardsbis.in> द्वारा इंटरनेट पर खरीदा जा सकता है।

जे. राय चौधरी, वैज्ञा-जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण – पी एवं एम)

[विज्ञापन.-III/4/असा./393/2020]

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2020

Ref: HQ-PUB 014/1/2020-Pub-BIS (110).—In pursuance of sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendments to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued:

SCHEDULE

Sl. No.	No. , Year and Title of the Indian Standards	No. and Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment at column (3)	Date till which the Standard without Amendment as mentioned at Column (3) shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS 335 : 2018 New Insulating Oils — Specification (Fifth Revision)	Amendment No.1 Nov 2020	11 Nov 2020	10 May 2021
2.	IS 16102 (Part 1) : 2012 Self-Ballasted Led Lamps for General Lighting Services Part 1 Safety Requirements	Amendment No.3 Nov 2020	11 Nov 2020	10 May 2021

Copy of these Amendments are available for sale with the Bureau of Indian Standards ,Manak Bhavan,9 Bahadur Shah Zafar Marg ,New Delhi-110002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata,Chandigarh,Chennai,Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Nagpur, Kanpur, Patna, Pune, Kochi. Online purchase of Indian Amendments can be made at <http://www.standardbis.in>.

J. ROY CHOWDHURY, Sc-G & DDG(Stdn. — P & M)
[ADVT.-III/4/Extv./393/2020]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2020

संदर्भ: एच क्यू-पब 014/1/2020-पब-बी आई एस (111).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गये मानक (को) में संशोधन किया गया/किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष एवं शीर्षक	संशोधन की संख्या और तिथि	कॉलम (3) के संशोधन की प्रतिस्थापन तिथि	वह तिथि, जब तक मानक कॉलम (3) में दर्शाई गए संशोधन के बिना लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आई एस 10617 : 2018 वायुरुद्ध संपीडक – विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 1 नवम्बर 2020	11 नवम्बर 2020	10 मई 2021

इस भारतीय संशोधनों की प्रतियां भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, नागपुर, कानपुर, पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय संशोधनों को <http://www.standardsbis.in> द्वारा इंटरनेट पर खरीदा जा सकता है।

जे. राय चौधरी, वैज्ञा-जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण – पी एवं एम)

[विज्ञापन.-III/4/असा./393/2020]

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2020

Ref: HQ-PUB 014/1/2020-Pub-BIS (111).—In pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendments to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued:

SCHEDULE

Sl. No.	No. , Year and Title of the Indian Standards	No. and Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment at column (3)	Date till which the Standard without Amendment as mentioned at Column (3) shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS 10617 : 2018 Hermetic Compressors — Specification (Second Revision)	Amendment No. 1 Nov 2020	11 Nov 2020	10 May 2021

Copy of these Amendments are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Nagpur, Kanpur, Patna, Pune, Kochi. Online purchase of Indian Amendments can be made at <http://www.standardbis.in>.

J. ROY CHOWDHURY, Sc-G & DDG(Stdn. — P & M)
[ADVT.-III/4/Ext./393/2020]